भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †136
सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पश्चिम बंगाल में नए पर्यटन स्थलों का विकास

†136. **श्रीमती साजदा अहमद:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कोविड के बाद की अवधि के दौरान उद्योग के भीतर रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ख) पर्यटन उद्योगों को हुए भारी नुकसान को कम करने के लिए सरकार द्वारा कोविड के बाद की अवधि में की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कोई नए पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान भारत में पर्यटन क्षेत्र द्वारा सृजित किए गए रोजगार का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान में वृद्धि की जा सके और निम्नलिखित विवरणानुसार पर्यटन के माध्यम से रोजगार की संभावनाओं का सृजन किया जा सकेः

i. स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में अपनी स्वदेश दर्शन योजना को परिवर्तित किया है।

ii. तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास।

iii. नागरिकों को देश में ही यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल शुरू की गई।

iv. अन्य निश थीमों के साथ निरोगता पर्यटन, कलिनरी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, ईको-पर्यटन आदि जैसे थीमेटिक पर्यटन का व्यापक रूप से संवर्द्धन किया जाता है ताकि अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के दायरे को बढ़ाया जा सके।

v. 167 देशों के नागरिकों के लिए 5 उप-श्रेणियों अर्थात् ई-पर्यटक वीज़ा, ई-बिजनेस वीज़ा, ई-मेडिकल वीज़ा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा तथा ई-कोन्फ्रेंस वीज़ा हेतु ई-वीज़ा की सुविधा प्रदान करना।

vi. ई-वीज़ा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीज़ा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है।

vii. पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 1001 रु. से 7500 रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% और 7501 रु. से अधिक के टैरिफ वाले कमरों पर जीएसटी को 18% कर दिया गया।

viii. पर्यटन मंत्रालय ने आरसीएस-उड़ान योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। पर्यटन गंतव्यों तक हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए इनमें से 53 रूटों पर प्रचालन शुरू हो गया है।

ix. पर्यटन मंत्रालय ने अखिल भारतीय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम नामक एक डिजिटल पहल शुरू की है जिसका लक्ष्य देश भर में सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों का एक पूल तैयार करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार करना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।

x. बेहतर मानक सेवा प्रदान करने हेतु श्रमशक्ति को प्रशिक्षित तथा उन्नत करने के लिए 'सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)' योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करना।

xi. सीबीएसपी योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय सूक्ष्म और लघु बिजनेस स्टार्ट-अप को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 'उद्यमिता कार्यक्रम (ईपी)' नामक एक कार्यक्रम चलाता है। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए हैं जो 8वीं कक्षा पास हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं।

तीसरे पर्यटन सैटेलाइट अकाउंट (टीएसए) के अनुरूप किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए देश के कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान नीचे दिया गया है:

	2020-21	**2021-22**
रोजगार में हिस्सा (%में)	12.91	12.66
प्रत्यक्ष (%)	5.63	5.52
अप्रतयक्ष (%)	7.28	7.14
पर्यटन से प्रत्यक्ष+अप्रत्यक्ष रोजगार (मिलियन में)	68.07	70.04

स्रोत: उपरोक्त अनुमानों को तीसरे टीएसए और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2023 का उपयोग करके अद्यतन किया गया है।

देश में कोविड के पश्चात पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत उपायों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पश्चिम बंगाल राज्य में 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

श्रीमती साजदा अहमद द्वारा पश्चिम बंगाल में नए पर्यटन स्थलों का विकास के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †136 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण।**

कोविड-19 के पश्चात देश के पर्यटन क्षेत्र उद्योग के पुनर्विकास हेतु सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत उपाय निम्नानुसार हैं:

i. [illegible]

ii. [illegible]

iii. [illegible]

iv. [illegible]

v. [illegible]

vi. [illegible]

vii. [illegible]

50,000 [illegible]

viii. 28 [illegible], 2021 [illegible], [illegible]-19 [illegible] 17 [illegible] '[illegible]' [illegible] '[illegible]' [illegible]

ix. [illegible] '[illegible] ([illegible])' [illegible] -19 [illegible] 10.00 [illegible] 1.00 [illegible]

x. [illegible]-19 [illegible] 08.06.2020 [illegible]

xi. [illegible] -19 [illegible] ''[illegible]'' ([illegible]) [illegible]

xii. [illegible] ([illegible]) [illegible]-[illegible] [illegible],

[illegible]

xiii. [illegible] 5 [illegible] 5 [illegible]

xiv. [illegible]-19 [illegible]

xv. [illegible] 167 [illegible]

****

अनुबंध-II

श्रीमती साजदा अहमद द्वारा पश्चिम बंगाल में नए पर्यटन स्थलों का विकास के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †136 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण।**

स्वदेश दर्शन योजना **(करोड़ रुपये में)**

क्र सं	राज्य	परिपथ/स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	पश्चिम बंगाल	तटीय परिपथ 2015-16	समुद्र तट परिपथ का विकास: उदयपुर-दीघा-शंकरपुर-ताजपुर-मंदारमणि-फ्रेजरगंज-बक्खलई-हेनरी द्वीप	67.99

प्रशाद योजना **(करोड़ रुपये में)**

क्र सं	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत
1.	पश्चिम बंगाल	बेलूर मठ का विकास	2016-17	30.03

पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	राज्य	परियोजनाओं के नाम	केंद्रीय एजेंसी	स्वीकृत राशि
वर्ष 2017-18				
1.	पश्चिम बंगाल	रामपुरहाट रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेलवे मंत्रालय	3.48
2.	पश्चिम बंगाल	तारकेश्वर रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेलवे मंत्रालय	3.87
वर्ष 2019-20				
3.	पश्चिम बंगाल	न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेलवे मंत्रालय	4.55

****